317

10रु. COURT FEE भारत सत्यमेव जयते दस रुपये

10रु. COURT FEE INDIA भारत सत्यमेव जयते दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

हरचरन तनय गोला यादव ,

निवासी ग्राम हनमतपुरा तह0 वल्देवगढ़ तह0 जिला टीकमगढ़

................आवेदक

विरूद्व

R. 3964-III/13

भूरा तनय बाबू यादव

निबासी ग्राम हनमतपुरा तह0 वल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ म0प्र0

.... प्रतिनिगराकार

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है:—

1 यह कि आवेदक यह निगरानी अपर कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0 क0 97/निगरानी 2010—11 में पारित आलोच्य आदेश दिनॉक 27/11/2012 से परिवेदित होकर कर रहा है, जो समय सीमा में नहीं है। धारा 05 म्याद अधिनियम कार आवेदन पत्र मय शपथपत्र के संलग्न है। तथा माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2— यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा एक आवेदनपत्र अधिरनस्थ बिचारण न्यायालय तहसीलदार महोदय वल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ को इस आशय का दिया कि अपीलॉट के नाम प्र0 क0 208/अ—19/78—79 में भूमि खसरा नं0 355/1 रकवा 0.543 हैं0 का पटटा दिनॉक 19/08/1980 के कब्जे के आधार पर बना था। रिस्पॉ0 बलुआ तनय कामता यादव ने पटवारी व बाबूओं से मेल मिलाप कर अपना नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के दर्ज करा लिया है। रिस्पॉ0 बलुआ तनय कामता यादव निःसंतान था उसकी कोई संतान नहीं थी। जिसकी मृत्यु 12/05/1999 को हो गई है। जिसकी भूमि पर रिस्पॉ0

((

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3964-तीन/2013 जिला टीकमगढ़ हरचरन विरूद्ध भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 97/निग./2010-11 में पारित आदेश दिनांक 27-11-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 01-11-2013 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

21.01.19

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

21.01.19

(आर.के. जैन)
सदस्य